

पत्रावली पेश हुई। वाही व उसके अधिवक्ता
अनुपस्थित। पत्रावली के अनवान के अनुसार
उ वार आवाजे लगाई जाने के बावजूद वाही
अनुपस्थित रहा है। अतः पत्रावली अदम
दखरी एवं अदम परकी में खारिज की जाती है।
पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम है।



3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली